कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला सलूम्बर

प्रार्थी श्रीमती धापु व अन्य
वेपक्षी श्री कुबा व अन्य
किस्म मुकदमा धारा–212 राज. काश्त. अधिनियम
प्रकरण संख्या 66/2023

	कार्यवाही विवरण	
21/01/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली मे प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 सी.पी.सी. व धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 हिस्से की कृषि भूमि मौजा उथरदा पटवार हल्का उथरदा के खाता 484 आराजी नम्बर 4016 कुल किता 01 रकबा 6.20 हैक्टयर, खाता संख्या 395 आराजी नम्बर 2783 कुल किता 01 रकबा 0.04 हैक्टेयर व खाता संख्या 346 कुल किता 09 रकबा 0.38 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीया सं. 1 व विपक्षी सं. 1 आपस मे पति पत्नी है जिनका आपस मे विवाद चल रहा है जिस कारण विपक्षी कुबा के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित को विक्रय करना चाहता है जिस कारण से प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है। वाद कारण दिनांक 11–09–2023 को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थी के हिस्से की जमीन पर विपक्षी के द्वारा जबरन खेत मे कब्जा करने हेतु हल जोत दिया उस दिन उत्पन्न हुआ जिसके उपरान्त अनवरत जारी है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष मे अप्रार्थी के विरूद्ध निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वह या उसके प्रतिनिधि मुलवाद के निस्तारण तक उक्त वाद वर्णित आराजी, जो कि प्रार्थी के कब्जे काश्त मे है तथा खाते मे है किसी प्रकार से कोई कब्जा नही करे तथा नही प्रार्थीगण की काश्त मे दखलन्दाजी करे तथा नही किसी प्रकार से प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे किसी प्रकार से कोई निर्माण कार्य करे व नही विक्रय करे। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आदेशिका दिनांक 18–03–2024 को बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहने से विपक्षी सं. 1 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तद्पश्चात पत्रावली मे अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता बहस अपने प्रार्थनापत्र अनुसार रही। बहस मनन की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का अवलोकन किया। विपक्षी सं. 1 न्यायालय मे हाजिर नही आया न ही जवाब पेश किया। दोराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने जाहिर किया कि प्रार्थी सं. 1 व विपक्षी संख्या 1 पति–पत्नी है तथा वाद वर्णित भूमि में प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 का हिस्सा है। अतः न्यायालय हित मे मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की भूमि की मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड यथास्थिति बनाये रखे। इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 को पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय दिनांक 21/01/2025 खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (पर्वत सिंह चूण्डावत) उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर सहायक कलक्टर सलूम्बर जिला सलूम्बर	